



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

देहरादून, मंगलवार, 05 अगस्त, 2025 ई०

श्रावण 14, 1947 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

वन अनुभाग-3

संख्या 1303/X-3-25/01(627)/2015/E-90485

देहरादून, 05 अगस्त, 2025

अधिसूचना

प० आ०-51

राज्यपाल, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या-16 वर्ष 1927) की धारा 29 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रयोजनार्थ जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (फेज-8) के अंतर्गत देघाट से तालनगरी मोटर मार्ग निर्माण हेतु हस्तान्तरित 03.844 है० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जिलाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा वन विभाग को हस्तान्तरित की गयी राज्य सरकार के स्वामित्व की श्रेणी-9(3)ड (अन्य कारणों से बंजर भूमि)/10(4) बंजर नाकाबिल आबाद 07.688 है० भूमि, जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है, को वन भूमि के साथ-साथ संरक्षित वन घोषित करते हैं:-

तालिका

[illegible]

संरक्षित क्षेत्र का सीमांकन एवं स्तम्भ निर्माण किया जायेगा।

उपरोक्त क्षेत्र भू-अभिलेखों में वन विभाग के नाम नामान्तरित होने से किसी भी प्रकार की अधिकार एवं रियायतों के दावों से मुक्त है।

आज्ञा से,

कहकशां नसीम.

अपर सचिव ।

No. 1303/X-3-25/01(627)/2015-E-90485

Dated Dehradun, August 05, 2025

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 29 of Indian Forest Act 1927, (Act-16 of 1927) for the purpose of Chapter-4 of the said Act, the Governor is pleased to declare the government owned category 9(3)anga land (for other agricultural use barren land)/10(4) Banjar Nakabil Aabad land total 07.688 hectare as forest land as well as protected forest, which was transferred by District Collector of Almora to the forest department for compensatory plantation against the 03.844 hectare Reserve Forest land transferred for the construction of motor road from Deghat to Lalnagri in District Almora, whose area and boundary details are given in the table below.

Table

Sr. No	District	village	Patti	Tehsil	Khata No.	Khēt No.	Area acquired for C.A (in Hectares)	Category of Land
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
1-	Almora	Jhadgaon	Koopi	Salt	20	430 431 432 2321 2323 2325	0.155 0.456 0.877 0.434 01.813 01.453	9(3)anga
2-	Almora	Okhliya	Devikhal	Salt	09	365	02.500	10(4) Banjar Nakabil Aabad
						Total:	07.688	

Boundary should be demarcated on the field and boundary pillars shall be constructed.

The area mentioned in table above is free from the claim of any rights and concessions, to be transferred in the name of the Forest Department in the land records.

By Order,

KAHKASHAN NASEEM,

Additional Secretary.